शिक्षा अधिकार विधेयक

23 अक्तूबर, 2006

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि देश के सब बच्चों को उत्तम किस्म की स्कूली शिक्षा प्रदान करना विकास का बुनियादी आधार और भारत को ज्ञानवान समाज बनाने की दिशा में किसी भी तरह की प्रगति के लिए न्यूनतम आवश्यक शर्त है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इस बारे में विस्तृत विचार–विमर्श कर रहा है और स्कूली शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में बाद में विस्तृत सिफारिशें करेगा।

फिलहाल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग केन्द्र सरकार के उस ताजा पहल का जिक्र करना चाहता है, जिसके तहत मॉडल शिक्षा अधिकार विधेयक राज्यों के शिक्षा विभागों के सचिवों को भेजा गया है। जो राज्य सरकारें इस तरह का विधेयक अपने यहाँ लागू कराएँगी, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विधेयक का अध्ययन किया है और अनेक शिक्षाविदों तथा विशेषज्ञों के साथ उस पर चर्चा की है। आयोग का मानना है कि इस मॉडल विधेयक में कई खामियाँ हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के किसी भी कानून को केन्द्र सरकार को लागू कराना चाहिए, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत उसने इसका वायदा किया है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग संघवाद से जुड़ी चिंताओं के बारे में पूरी तरह जागरूक है, क्योंकि फिलहाल स्कूली शिक्षा राज्य सरकारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के दायरे में आती है। किन्तु उसका मानना है कि केन्द्र एक उपयुक्त कानून बनाकर यह मसला सुलझा सकता है, जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को शामिल किया जाएः

1. **केन्द्रीय कानूनः** शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 ए में मौलिक अधिकार माना गया है। उसकी पुष्टि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाना आवश्यक है। यह अधिकार इस बात का मोहताज नहीं है कि नागरिक किस राज्य में रहता है इसलिए राज्य सरकारों को अपने स्तर पर लागू करने के लिए जो मॉडल विधेयक भेजा गया है, वह भारत सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लायक पर्याप्त नहीं है। अतः पंचायती राज संशोधन अधिनियम की तरह एक केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत राज्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर शिक्षा अधिकार कानून बनाने अनिवार्य हों और इस काम की मूल वित्तीय ज़िम्मेदारी केन्द्र सरकार पर हो।

2. **वित्तीय संकल्पः** शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि में से अधिकतर राशि केन्द्र सरकार को देनी चाहिए। अतः केन्द्रीय अधिनियम में ऐसे वित्तीय प्रावधान करना अनिवार्य है, जिससे केन्द्र सरकार प्रारंभिक शिक्षा कोष में आने वाली रकम राज्य सरकारों के साथ बाँटे और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए ज़रूरी संसाधन प्रदान करे। अनुमान है कि सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए जो भी तरीका अपनाया जाए उसके आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत होगी। किन्तु अपेक्षित वित्तीय संसाधन इन अनुमानों से कम ही होंगे, क्योंकि अनेक राज्यों में पहले से ही सबके लिए यह सुविधा सुलभ है और अन्य राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान के जरिए शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है।

3. **समय सीमाः** राज्य स्तरीय अधिनियमों में समय सीमा तय की जानी चाहिए, जिसके भीतर सभी बच्चों को समुचित स्तर की शिक्षा सुलभ कराने का लक्ष्य हासिल किया जाना है। यह समय सीमा 3 वर्ष होनी चाहिए। मॉडल विधेयक में इन प्रावधानों को अपनाने और लागू करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

4. **नियमों और मानकों का प्रावधानः** शिक्षा का न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए, जिनका पालन सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य हो। मौजूदा मॉडल विधेयक में ऐसे कोई नियम नहीं दिए गए हैं और शिक्षा का न्यूनतम स्तर भी तय नहीं किया गया है, जो स्कूलों को प्रदान करना है। उस विधेयक में सिर्फ समान क्वालिटी का जिक्र किया गया है, लेकिन उस क्वालिटी की कोई मानदंड तय नहीं किए गए हैं। उत्तम क्वालिटी सुनिश्चित करने का प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, फिर भी बुनियादी ढाँचे, प्रति स्कूल और प्रति विद्यार्थी शिक्षकों की संख्या, पढ़ाने के तरीकों और दूसरी सुविधाओं आदि के बारे में कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होना चाहिए।

5. **शिक्षकों के लिए मापदंडः** शिक्षा का उत्तम स्तर सुनिश्चित करने में शिक्षकों की भूमिका प्रमुख है। इसलिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के लिए स्पष्ट, लेकिन लचीले

नियम तय करना विशेष रूप से ज़रूरी है। मॉडल विधेयक में शिक्षकों के लिए कोई मानदंड या योग्यता या सेवा के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता स्पष्ट नहीं की गई है। शिक्षक की परिभाषा सिर्फ ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है, जो कक्षा में पढ़ाता है। शिक्षक की योग्यता और प्रशिक्षण के नियम तय करना आवश्यक है।

6. **न्यायाधिकारः** शिक्षा के अधिकार सहित कोई भी अधिक तभी सार्थक हो सकता है, जब न्याय व्यवस्था के माध्यम से उसे दिलाया जा सके। किन्तु राज्य सरकारों को भेजे गए मॉडल विधेयक में सारी ज़िम्मेदारी बच्चे के माता–पिता/अभिभावकों पर डाल दी गई है। विभिन्न स्तरों पर सरकार की ज़िम्मेदारी को पहचाना जाना चाहिए और उसे न्यायाधिकार के क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उदाहरण देखा जा सकता है।

7. **शिकायत समाधान तंत्रः** न्याय दिलाने के लिए यह ज़रूरी है कि शिकायत समाधान का उचित तंत्र हो और अधिकार का सम्मान न किए जाने की स्थिति में विद्यार्थियों या माता–पिता के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित की जाए।

8. **सबके लिए स्कूल की व्यवस्थाः** स्कूली शिक्षा सभी बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वंचित, भूमिहीन और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों तथा अपंगता या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इसके दायरे में लाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि भिन्न–भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए सरकारी तंत्र के भीतर स्कूलों की किस्मों में कोई भेदभाव न किया जाए। मॉडल विधेयक को अपनाने से स्कूली शिक्षा की ऐसी समानान्तर और भेदभावपूर्ण व्यवस्था तैयार होने की आशंका है, जिससे वंचित समुदायों और पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था का अलग स्तर तैयार होने की आशंका है, क्योंकि इस विधेयक में ऐसे मामलों में नियमित स्कूली पढ़ाई की अनिवार्य व्यवस्था के बजाय सिर्फ अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान है।

यह भी स्पष्ट है कि सभी मामलों में स्कूल की व्यवस्था इतनी लचीली होनी चाहिए कि बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इन बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या देने को तैयार है। आयोग सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार–विमर्श कर रहा है और स्कूली शिक्षा से जुड़े अन्य विषयों पर भी गौर कर रहा है। आयोग विशेषतौर पर इन प्रश्नों पर विचार कर रहा है कि सभी बच्चों के लिए उत्तम क्वालिटी की शिक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए; संस्थाओं का ढाँचा कैसा हो और स्थानीय समुदाय का नियंत्रण किस तरह का हो, जिससे स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने में मदद मिले। इसके अलावा सभी बच्चों के लिए साझे स्कूलों और आस–पड़ोस के स्कूलों से जुड़े मुद्दों; स्कूल शिक्षकों, खासकर विशेष क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों की पर्याप्त संख्या और क्वालिटी बनाए रखने के मुद्दे भी विचारणीय हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्कूल शिक्षा के बारे में व्यापक सिफारिशें निकट भविष्य में देगा।